

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा पिथौरागढ़
आ० संख्या - प्रा०शि० / 122 / स्था०अधि०अनु०स्था० / 2023-24 दिनांक 24-06-2023
विज्ञप्ति/स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों एवं उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शारानादेश संख्या-1/115324/XXX-2/2023 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं निदेशक, प्रा०शि०, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं०/प्रा०शि०-दो (02) 595-2022/2884/2023-24 दिनांक 16 मई 2023 द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार निम्नांकित शिक्षकों (प्र०अ० प्राथमिक स्तर) को अनुरोध के आधार (धारा-17 ख) पर स्तम्भ-05 में अंकित विद्यालय में उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है-

क० सं०	शिक्षक का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अनुरोध की उप श्रेणी	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
1	कृष्ण लाल बर्मा	प्र०अ०	रा.प्रा.वि. गोवराडी कना०	रा.प्रा.वि. दौवांस मूनाकोट	17-ख-4	-
2	रेनु बर्मा	प्र०अ०	रा.प्रा.वि.ओलियागांव गंगो०	रा.प्रा.वि.कमद गंगो०	17-ख-6	-
3	तिला राम	प्र०अ०	रा.प्रा.वि.बजेता मुन०	रा.प्रा.वि.फुलीडोर मुन०	17-ख-6	-
4	नीला आर्या	प्र०अ०	रा.प्रा.वि.बला मुन०	रा.प्रा.वि.तोली मूना०	17-ख-6	-
5	चन्द्र लाल बर्मा	प्र०अ०	रा.प्रा.वि.टोला भैस्कोट मुन०	रा.प्रा.वि.खैरोली गंगो०	17-ख-6	-
6	भूपेन्द्र सिंह	प्र०अ०	रा.प्रा.वि. कुशमाण गंगो०	रा.प्रा.वि.चौडागोल्ती गंगो०	17-ख-6	-
7	नरेंद्र बहादुर चंद	प्र०अ०	रा.प्रा.वि. खरकोली गंगो०	रा.प्रा.वि० मेल्कू विण	17-ख-6	-

ह०/अ०

(एस०पी०सेमवाल)

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) पिथौरागढ़।

पृ०सं०/प्रा०शि०/ 2251-59 / स्था०अधि० अनु०स्था० / 2023-24 / दिनांक उक्ततिथि।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के सादर अवलोकनार्थ।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- मण्डलीय अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कु० म० नैनीताल।
- 4- मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
- 6- वित्त एवं लेखाधिकारी, प्रा०शि०, पिथौरागढ़।
- 7- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षक को प्रत्येक दशा में 07 दिनों के भीतर कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित शिक्षक का आगामी माह का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय से ही आहरित किया जायं। सुनिश्चित हो लें कि सम्बन्धित अध्यापकों का स्थानान्तरण सुसंगत श्रेणी में ही हुआ हो। यदि किसी प्रकार की विसंगति परिलक्षित होती है तो सम्बन्धित अध्यापक से प्रत्यावेदन प्राप्त करते हुए यथोचित अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका (द्वारा सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी)
- 9- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को अनुपालनार्थ। (द्वारा प्रधानाध्यापक, सम्बन्धित विद्यालय)
- 10- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

24.6.23
जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) पिथौरागढ़